8.8.2024 पत्रावली पेश हुई

चूंकि मूल वाद अदम पैरवी एवं
अदम हाजरी में खारिज हो चुका है
लिहाजा अब इस आवेदन को आगे
चलाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता
है।

अतः मूल वाद की तर्ज पर आवेदन
भी इस पर अदम पैरवी एवं अदम
हाजरी में खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल
दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
SDO सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.09.04 16:25:29 IST
Reason: SelfAttested